न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 52/2022 (धारा 18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/54)

सुनील कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 निर्णय विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 29.12.2021

उपस्थितिः–

1. श्री दिलीप सिंह वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 13.02.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में आयुध अधिनियम 1959 के तहत मृतक आश्रित के तहत शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। इसके बाबजूद भी जिला मजिस्ट्रेट भरतुपर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 के द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने से इन्कार किया है। उक्त आदेश विधिविरूद्ध व तथ्यों व रिकार्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त निर्णय की नकल अपीलान्ट को दिनांक 17.02.22 को प्राप्त होने के कारण जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई। फिर भी निर्णय की तारीख को दृष्टिगत रखते हुए प्रथक से दफा 5 लिमिटैशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने इस तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी त्रुटि की है कि अपीलान्ट के बाबा श्री लक्ष्मण सिंह को शस्त्रअनुज्ञापत्र संख्या 195/98 विधिवत जारी किया गया था। अपीलान्ट के बाबा की मृत्यु दिनांक 27.02.2008 को होने के बाद मृतक के वारिसान द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के हक में शस्त्र अनुज्ञापत्र को स्थानान्तरित कराये जाने हेतु सहमति पत्र व शपथ पेश कर दिये थे। अपीलान्ट ने आवेदन पत्र के साथ अपना मेडिकल, शस्त्र चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन आदि पेश कर दिये थे। अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में शस्त्र की युक्तिपूर्ण तरीके से आवश्यकता बताई थी। अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु तहसीलदार नदबई द्वारा पत्र दिनांक 04.08.2021, उपवन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर के पत्र. दिनांक 04.08.2021, पुलिस अधीक्षक भरतपुर के पत्र दिनांक 22.10.2021 व पुलिस थाना नदबई की ओर से दिनांक 21.08.2021

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

द्वारा अभिशंषा/सहमति भिजवाई गई थी। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने उक्त समस्त दस्तावेज पर गौर नही कर अपीलान्ट के पक्ष मे शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने तथा अपीलान्ट के बाबा के नाम जारी अनुज्ञापत्र मे दर्ज शस्त्र को स्थानान्तरित नही किये जाने मे कानूनी भूल की है। केवल मात्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. विशेष शाखा भरतपुर की रिपोर्ट जिसमे आश्रित नियमो के तहत नवीनसार अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंषा की गई है, को आधार माना गया है। जबकि अपीलान्ट ने उक्त रिपोर्ट पुनः लिये जाने हेतु आवेदन पत्र मे प्रस्तुत किया था। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुनः रिपोर्ट नही प्राप्त कर इस रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलान्ट के पक्ष मे अनुज्ञापत्र जारी करने मे असहमति जाहिर करते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने से इन्कार किया है, जो कि विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2021 निरस्त किया जावे। तथा जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से अपीलान्ट के बाबा के पक्ष मे जारी अनुज्ञापत्र संख्या 195/58 मे दर्ज शस्त्र को अपीलान्ट के हक मे स्थान्तरित किए जाने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किए जाने के बाद रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई व अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजनक उपस्थित हुए। अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली प्राप्त होन पर प्रकरण मे उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से अपीलान्ट के बाबा श्री लक्ष्मन सिंह को अनुज्ञा पत्र संख्या 195/58 विधिवत रूप से जारी किया गया था। अनुज्ञापत्रधारी लक्ष्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 27.02.2008 को होने पर अपीलान्ट की ओर से मृतक आश्रित के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पेश किया गया था। आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट के पक्ष में उसके बाबा लक्ष्मन सिंह के अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को चलाये जाने हेतु सभी वारिसान का शपथ पत्र व सहमति पत्र, अपीलान्ट का शपथ पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, लक्ष्मन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के बाद शस्त्र को मैसर्स मोदी गन हाउस भरतपुर में जमा कराए जाने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर का आदेश दिनांक 22.04.2009, शस्त्र जमा की रसीद, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र व अपीलान्ट की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। अपीलान्ट का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उपवन संरक्षक वन्य जीव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि.शा. भरतपुर, तहसीलदार नदबई से अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उपवन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर, तहसीलदार नदबई व थानाधिकारी नदबई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में सहमति/अनापत्ति जताई गई, परन्तु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि. शा. द्वारा बिना किसी ठोस आधार/जांच के अपीलान्ट को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाने की अभिशंषा की गई। केवल इस रिपोर्ट को ही आधार मानकर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 के द्वारा इनकार किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि.शा. के अलावा अन्य सभी कार्यालयों से

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने की सहमति/अनापत्ति दी गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध न तो प्रकरण दर्ज है और न ही अपीलान्ट आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने बिना किसी ठोस आधार के अपीलान्ट के आवेदन पत्र को अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करने व अपीलान्ट के बाबा श्री लक्ष्मन सिंह के पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 195/58 में दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलान्ट के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु होने के बाद अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को स्थानान्तरित कराने/अनुज्ञा पत्र जारी कराने का कोई विधिक अधिकार वारिसान को नहीं है। आयुध अधिनियम 1959 में अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि होना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि.शा. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित नहीं माना है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.12.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 16.05.2022 को अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.01.2022 को उनके अधिवक्ता से होने व जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किए जाने के बाद नकल दिनांक 17.02.2022 को प्राप्त होने के कारण समय पर पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने की इस्तदुआ भी की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 में हम किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं पाते हैं। यद्यपि यह सही है कि अपीलान्ट के बाबा श्री लक्ष्मण सिंह के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ओर से अनुज्ञा पत्र संख्या 195/58 जारी किया गया था तथा उक्त अनुज्ञा पत्र में एक 12 बोर गन भी शस्त्र के रूप में दर्ज था। अनुज्ञापत्रधारी लक्ष्मण सिंह की मृत्यु होने के कारण उक्त शस्त्र मृतक के वारिसान के आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के आदेश दिनांक 22.04.2009 के द्वारा मैसर्स मोदी गन हाउस भरतपुर के यहां जमा कराए

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसकी पालना में उक्त शस्त्र जमा भी करवा दिया गया है। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में मृतक अनुज्ञापत्रधारी के आश्रित के रूप में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पत्र में अपीलान्ट द्वारा मृतक अनुज्ञापत्रधारी का पोता होना बताया गया है. परन्तु आवेदन पत्र के साथ संलग्न वारिसान की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र/सहमति पत्र में अपीलान्ट को पोता/भतीजा होना बताया गया है एवं अपीलान्ट का नाम करैक्टिंग फ्लूड लगाकर लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट मृतक अनुज्ञापत्रधारी का प्रथम श्रेणी का आश्रित नहीं है। इसी तरह अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नदबई, उपवन सरंक्षक वन्यजीव भरतपुर व पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा अनापत्ति जताई गई है, परन्तु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि.शा. भरतपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि आवेदक अपने दादा के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र को उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण पैतृक अधिकार मानते हुए अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। आवेदक को जानमाल का खतरा होना या धमकी मिलना जानकारी में नहीं आया है। अतः दादाजी के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आवेदक के नाम किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस तथ्य की पुष्टि थानाधिकारी नदबई की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.08.2021 से भी हो रही है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक को किसी से कोई खतरा नहीं है और न ही उसकी किसी से कोई पुरानी रंजिश है। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र दिनांक 13.07.2021 के सहमति पत्र में भी अपीलान्ट को पोता/भतीजा होना बताया गया अर्थात अपीलान्ट मृतक अनुज्ञापत्रधारी लक्ष्मन सिंह का सगा पोता नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि.शा. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाना उचित नहीं माना है। हम सहायक लोक अभियोजक के इस तर्क से सहमत हैं कि आयुध अधिनियम 1959 में वर्णित प्रावधान के तहत अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की संतुष्ट होना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मृतक आश्रित के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने का अनुतोष चाह जा रहा है जबकि न तो अपीलान्ट मृतक अनुज्ञापत्रधारी श्री लक्ष्मण सिंह का सगा पोता ही है और न ही अपीलान्ट के पक्ष में नया अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने के पर्याप्त कारण व आधार विद्यमान है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर